फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

शंकर पुत्र नाना चमार निवासी खेरुणा

बनाम

कमल कंवर पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी टीटोड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 154/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुऐ
09-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में मैं ग्राम खेरुणा प.ह. टीटोड़ा आराजी सं. 26/1, 26/8 कुल किता 02 रकबा 2.1600 हेक्टेयर व ग्राम टीटोड़ा प.ह. टीटोड़ा आराजी सं. 255/2, 53/5 कुल किता 02 रकबा 0.4320 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम खेरुणा प.ह. टीटोड़ा आराजी सं. 26/1, 26/8 कुल किता 02 रकबा 2.1600 हेक्टेयर व ग्राम टीटोड़ा प.ह. टीटोड़ा आराजी सं. 255/2, 53/5 कुल किता 02 रकबा 0.4320 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है**। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with CamScanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 09/04/2024

क्रमांक/रीडर/2024/154/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः— प्र.सं. 154 / 2024 अनवान शंकर पुत्र नाना चमार निवासी खेरुणा बनाम
कमल कंवर पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी टीटोड़ा, भंवर कंवर पुत्री भैरू सिंह राजपूत
निवासी टीटोड़ा, शैतान सिंह पिता शंभू सिंह राजपूत निवासी टीटोड़ा, लक्ष्मण सिंह
पिता शंभू सिंह राजपूत निवासी टीटोड़ा, भंवर सिंह पिता शंभू सिंह राजपूत निवासी
टीटोड़ा, महावीर सिंह पिता भवर सिंह राजपूत निवासी टीटोड़ा, रघुवीर सिंह पिता भैरू
सिंह राजपूत निवासी टीटोड़ा, चारभुजा जी स्थान देह गढ़बोर जरिया पुजारी गोपाल
प्रताप भैरु कुम्हार निवासी टीटोड़ा, भगवान पिता मोहन कुमार निवासी टीटोड़ा, लादू
पिता चंदा कुमार निवासी टीटोड़ा, हेमराज पिता मदन कुम्हार निवासी टीटोड़ा, जयराम
पिता बरदा कुम्हार निवासी टीटोड़ा, दुर्गालाल पिता भेरू कुमार निवासी टीटोड़ा, नाथू
पिता भूरा कुमार निवासी टीटोड़ा, प्यारा पिता देव कुम्हार निवासी टीटोड़ा, नन्दा
पिता नारायण चमार निवासी टीटोड़ा, कल्याण पिता गोपी खटीक निवासी खेरुणा,
धरना पिता देव खटीक निवासी खेरुणा, लोकेश पिता भेरु खटीक निवासी खेरुणा,
केसर देवी पत्नी भैरू खटीक निवासी खेरुणा, बरदी पुत्र देव खटीक निवासी खेरुणा,
शांति पुत्री देव खटीक निवासी खेरुणा, धन्नाराम पिता भागीरथ बेरवा निवासी खेरुणा
भोजा पिता कजोड़ बैरवा निवासी खेरुणा, काली पुत्री कजोड़ बैरवा निवासी खेरुणा,
रामली पुत्र कजोड़ बैरवा निवासी खेरुणा, लाड पुत्री कजोड़ बैरवा निवासी खेरुणा, सीता
पुत्री कजोड़ बेरवा निवासी खेरुणा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम खेरुणा प.ह. टीटोड़ा आराजी सं. 26/1, 26/8 कुल किता 02 रकबा 2.1600 हेक्टेयर व ग्राम टीटोड़ा प.ह. टीटोड़ा आराजी सं. 255/2, 53/5 कुल किता 02 रकबा 0.4320 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner